

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1117/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत-सी, जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
चांदी की टकसाल, जयपुर

प्रत्यर्थी

अपील संख्या -1118/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, वृत-सी, जोधपुर

बनाम

अपीलार्थी

विशम्भर सिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह, वाहन चालक
द्वारा मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
चांदी की टकसाल, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के. बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एस.के.जैन

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 11.02.2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत-सी, जोधपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 119 व 120/आरएसटी/एनआरडी/2006-07 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 30.01.2009 के विरुद्ध पेश की गई है, जिनके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) व 78(8) के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की है, को अपास्त किया है। दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।

अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 18.10.1999 को वाहन संख्या एचआर-38-जी/6125 को चेक किया। वाहन में लदे माल परचून से सम्बन्धित दस्तावेज वाहन चालक/ माल प्रभारी से मांगने पर उसके द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वाहन चालक/ माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माल जालन्धर से राजस्थान के जोधपुर जिले हेतु परिवहनित किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन का वजन करवाने पर घोषित वजन से अधिक वजन पाये जाने के कारण वाहन में अधिक माल होने के सन्देह में माल के सत्यापन हेतु वाहन को नियमानुसार निरुद्ध किया गया। माल का भौतिक

सत्यापन करने पर दस्तावेजों में घोषित नगों से 34 नग अधिक पाये गये, जिसकी फर्द तैयार की गई। उक्त तथ्यों के पाये जाने पर प्रेषक एवं प्रेषिति को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चोरी की नियत से बिना दस्तावेजों के माल परिवहन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 28170/- एवं कर व अधिभार क्रमशः रु. 11268/- व 1690/- आरोपित करते हुए कुल रु. 41,428/- की मांग सृजित की गई, जिसे सम्बन्ध में अपील संख्या 1117/2009/जयपुर प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार कर चोरी की नियत से माल मालिको से मिली भगत कर बिना दस्तावेजों के परिवहनित किये जा रहे माल पर अधिनियम की धारा 78 (8) के अन्तर्गत शास्ति रु. 27,170/- आरोपित की गई है, जिसके सम्बन्ध में अपील संख्या 1118/2009/जयपुर प्रस्तुत की गई।

उक्त प्रकार से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश दिनांक 22.10.99 के द्वारा सृजित मांग के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर ये दोनों अपीलें विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन में घोषित माल से 34 नग अधिक पाये गये, जिनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जो कि अधिनियम की धारा 78 (2) के अन्तर्गत परिवहन के समय होना आवश्यक था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति व कर आरोपित किया जाना उचित था। उनका कथन है कि वाहन में दस्तावेजों में घोषित माल से अधिक माल का परिवहन किये जाने से स्पष्ट है कि माल मालिकों एवं वाहन चालक चालक की मिलीभगत से अधिक माल का परिवहन किया जा रहा था, जिससे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) एवं 78(8) के अन्तर्गत विधिक रूप से मांग सृजित की गई है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर बिना ध्यान दिये ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित की गई मांग को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित वांछित दस्तावेज यथा बिल व बिल्टी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि भौतिक सत्यापन

पर जो माल बिना दस्तावेजों के पाया गया, उसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को बताया गया था कि उक्त माल दस्तावेजों से समर्थित था परन्तु पंजाब बिक्री कर विभाग द्वारा जांच हेतु सम्बन्धित दस्तावेजों को रोक लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को पत्र के जरिए सूचित किया गया था और पंजाब बिक्री कर विभाग द्वारा उक्त वाहन के बाबत रसीद संख्या 5229 दिनांक 16.10.99 रु. 15,000/- की राशि की रसीद प्रस्तुत की गई थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब बिक्री कर विभाग से बिना जांच किये करापवंचन का दोषी मनोभाव मानकर कर व शास्ति का आरोपित किया है, जो उचित एवं विधिक नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने केवल मात्र सन्देह के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न कर कर एवं शास्ति का आरोपण किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रेषक एवं प्रेषिती से बिना जांच किये गये कर चोरी में सहभागिता मानकर अधिनियम की धारा 78 (8) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ अपील संख्या 1207/2004/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स जी टी सी मैरियर्स प्रा.लि. जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2005 को उद्धृत करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्ज माल से अधिक माल बिना दस्तावेजों के माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) एवं धारा 78(8) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। अधिनियम की धारा 78 (5) के प्रावधानों के अनुसार परिवहन के दौरान माल के साथ वांछित बिल-बिल्टी एवं प्रमाण स्वरूप अन्य दस्तावेज होने चाहिए। हस्तगत प्रकरण में पत्रावलियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग वांछित समस्त दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे अधिनियम की धारा 78 (5) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया जाता है क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल से सम्बन्धित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जहां तक सत्यापन पर 34 नग ऐसे पाये गये जिनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वक्त चेकिंग प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्था व्यवहारी प्रस्तुत उत्तर में बताया गया था कि लुधियाना पंजाब में उसके वाहन को बिक्री कर विभाग, पंजाब के द्वारा वाहन चेक करते समय कुछ बिल्टियां जांच के लिए ले ली गयी थी अतः कर



निर्धारण अधिकारी का यह मानना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिना बिल्टियों के माल परिवहन कर चोरी की नियत से किया जा रहा था, उचित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को पत्र के जरिए सूचित किया गया था और पंजाब बिक्री कर विभाग द्वारा उक्त वाहन के बाबत रसीद संख्या 5229 दिनांक 16.10.99 रु. 15,000/-की राशि की रसीद प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब बिक्री कर विभाग से बिना जांच किये करापवंचन का दोषी मनोभाव मानकर कर व शास्ति का आरोपित की है, जो उचित एवं विधिक नहीं है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा बहस के दौरान कर बोर्ड की एकलपीठ अपील संख्या 1207/2004/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स जी टी सी मैरियर्स प्रा.लि.जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2005 को उद्धृत किया है, जिसमें निम्न निष्कर्ष दिया गया है :-

“दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अप्रार्थी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का उत्तर भी देखा गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि लुधियाना पंजाब में उसके वाहन को बिक्री कर विभाग, पंजाब के द्वारा वाहन चेक करते समय कुछ बिल्टियां जांच के लिए ले ली गयी थी अतः कर निर्धारण का यह मानना कि अप्रार्थी कम्पनी द्वारा बिना बिल्टियों के माल परिवहन कर चोरी की नियत से किया जा रहा था उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण द्वारा कर चोरी की दोषी मनोभाव को प्रमाणित करने के लिए माल मंगाने वाले व्यवसायी के यहां जांच नहीं की गयी है कि क्या यह माल उनके द्वारा नहीं मंगाया गया था यदि कर निर्धारण अधिकारी ऐसी जांच कराते तो सम्भवतः अप्रार्थी कम्पनी के दोषी मनोभाव को प्रमाणित कर सकते थे परन्तु इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है अतः उपायुक्त(अपील्स)द्वारा शास्ति आदेश को अपास्त किया जाना उचित होने के कारण उनके आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।”


उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से पूरी तरह मेल खाते हैं। अतः हस्तगत प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टान्त आच्छादित होने एवं प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार योग्य नहीं नहीं है।

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2009 व 30.01.2009 में किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है, अतः उसकी पुष्टि करते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया जाता है। जब अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तो वाहन चालक के मिली भगत के कारण अधिनियम की धारा 78(8) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का कोई औचित्य नहीं रहता है। फलस्वरूप अधिनियम की धारा 78 (8) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को भी अपास्त किया जाता है।



परिणामतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 30.01.2009 व 30.01.2009 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य